न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम	
25.07.2025	मु0नं0 21/2019 उनवानः— उर्मिला बगै0 बनाम गिर्राज बगै0	

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वादी वकील के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम दांतली की जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 107 कुल किता 2 में 2/45 हिस्से के खाता संख्या 111 में कुल किता 3 में 2/45, खाता संख्या 113 में कुल किता 4 में 1/8 के खातेदार काश्तकार है, बकिया हिस्से में मूल दावे के प्रतिवादी नं0 11 ता 48 खातेदार काश्तकार है। वर्णित आराजीयात सायलान के पति व पिता के नाम दर्ज थी, उनकी मृत्यु के बाद सायलान वर्णित आराजीयात में दर्ज है। जिससे गैरसायलान 1 ता 10 का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। गैरसायलान बिना किसी अधिकार के सायलान की आराजी में घूडा डालने व पक्का मकान बनाने की धमकी देते रहते है। गैरसायलान बदमाश किस्म के होने के कारण सायलान की आराजी को हडपना चाहते है। सायलान का प्राईमफेसी केस साबित है। अतः दिनांक 08.05.2029 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल जमाबन्दी का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल ग्राम दांतली की जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता नं0 107, 111, 113 में सायलान के पिता व पति बिजेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खातेदार बिजेन्द्र सिंह के फौत होने पर जमाबन्दी में नामान्तकरण नं0 296 दिनांक 03.05.2028 से विरासत के रूप में सायलान के नाम स्वीकार होने से सायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में शामिल आदेशिका अनुसार गैरसायलान ने जरिये वकालतन दिनांक 10.06.2019 से ही लगभग उपस्थिति दर्ज करवाई गई परन्तु गैरसायलान द्वारा जबाव पेश नहीं किया गया तथा दिनांक 05.12.2024 को न्यायालय द्वारा बार–बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त भी उनके अधिवक्ता व स्वंय गैरसायलान अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने से प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष में साबित है, अगर सायलान के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई, तो प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। इसलिये प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता को देखते हुये सायलान का प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अर्थात न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.05.2019 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है।

आदेश

अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम दांतली की आराजी ख0नं0 334/4.19, 338/0.87, 266/0.77, 267/0.10, 268/0.12, 418/0.60, 419/0.26, 422/0.77, 427/0.27 में ता दावा फैसला सायलान की खातेदारी दर्ज हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे, व भूमि का वेस्ट डैमेज नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:14 IST
Reason: SelfAttested